न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी –दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या – 14/2010

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नाथा पुत्र मौटा जाति कलबी साकिन देवदा का गोलिया तहसील बागोडा जिला जालोर		1. मेघा गोदपुत्र जगता जाति कलबी साकिन देवदा का गोलिया तहसील बागोडा 2. भूमिधारी तहसीलदार बागोडा

दावा बाबत खातेदारी हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 14/09/2018

वादी द्वारा उक्त वाद बाबत खातेदारी हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरहद मौजा देवदा का गोलिया के आराजी ख0न0 165, 200, 207, 453, 454, 455, 456, 494 व 495 जुमले रकबा 18.66 है0 जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में इंद्राज है। उक्त आराजी के गत खसरा नं. 298, 315, 285, 281 कुल रकबा 101 बीघा 13 बिस्वा आराजी ओका वल्द जगता की खातेदारी आराजी थी। उक्त आराजी पर वक्त जागीरी से ओखा का कब्जाकाश्त होने के कारण उक्त आराजी पर प्रथम बार ओखा वल्द जगता को खातेदारी हक प्रदान किये गये। तथा ओखा जगता का पुत्र एवं वादी नाथा की माता धरमा जिसकी शादी मोटा के साथ हुई है, जगता की सगी पुत्री है। ओखा वल्द जगता नाऔलाद फौत होने पर कानूनन हिंदु उतराधिकारी अधिनियम के द्वितीय श्रेणी के वारिसान के अनुसार ओखा की सगी बहन धरमा के नाम संपूर्ण आराजी का नांमांतरकरण स्वीकृत किया जाना था किंतु इसी आराजी से लगती हुई आराजी गत ख0न0 299 व 1671 के खातेदार हबता वल्द अबा ने संपूर्ण आराजी का विधिविरूद्ध तरीके से अपनी खातेदारी आराजी में दर्ज करवा दी। हबता वल्द ओखा की आराजी गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवाये जाने की जानकारी होने पर ओखा की सगी बहन धरमा ने अपने हक व अधिकार के लिये प्रतिवादी मेघा को कहकर कानूनी कार्यवाही करने का कहा लेकिन बदनियति पूर्वक प्रतिवादी मेघा ने स्वयं को जगता का गोदपुत्र बताकर उक्त विवादित आराजी का आधा हिस्सा ओखा की बहन धरमा पत्नि मोटा व आधा हिस्सा मेघा पुत्र जगता के नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये नामांतकरण संख्या 475 इंद्राज करवा दिया। उक्त वाद में विवादित आराजी प्रारंभतः ओखा वल्द जगता की ही आराजी थी तथा ओखा जगता का जाइंदा पुत्र होने के कारण मेघा जगता का गोद पुत्र होने का प्रश्न ही नहीं होता तथापि जगता की संपति में गोदपुत्र की हैसियत से मेघा का हिस्सा माना जाता है तो भी उक्त जगता की आराजी नहीं होने से इसमें प्रतिवादी मेघा का कोई कानूनी हक व अधिकार अर्जित नहीं होता है लेकिन मेघा द्वारा स्वयं को जगता का गोदपूत्र बताकर ओखा की आराजी में वारिसान की हैसियत से गलत रूप से नामांतरकरण स्वीकृत करवाया तथा धरमा की फौतगी के पश्चात उक्त आराजी का नामांतकरण धरमा के वारिसान के नाम इंद्राज नहीं करवाकर संपूर्ण रूप से अपने नाम इंद्राज करवा दिया जो विधिविरूद्ध होने से उसके स्थान पर धरमा के वारिसान नाम व खातेदारी दिया जाना आवश्यक है। वादी नाथा धरमा का पुत्र होने के कारण एवं उक्त आराजी धरमा के सगे भाई ओखा वल्द जगता की आराजी होने से हिंदु उतराधिकारिता अधिनियम में वर्णित अनुसूची के वर्ग 2 के अनुसार वादी का उक्त आराजी में कानूनन हक व अधिकार बनता है। अतएव सरहद मौजा देवदा का गोलिया के वादग्रस्त वर्तमान ख0न0 165, 207, 453, 454, 455, 456, 494 व 495 जुमले रकबा 18.66 है0 का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं माफिक ईस्तदुआ वादी स्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें।

प्रतिवादी नं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि वादी ने अपनी माता धरमा स्व. ओखा के हिंदु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम वर्ग का कोई उतराधिकारी जीवित नहीं होने से ओखा की बहिन धरमा को ओखा का उतराधिकारी होना बताया है, जो तथ्य स्वर्था गलत है। ओखा फौत हुआ , तब उसकी माता जीवित थी, जो प्रथम वर्ग की श्रेणी की उतराधिकारी थी, जिससे द्वितीय वर्ग के उतराधिकारी की हैसियत से वादी का वाद पोषणीय नहीं है। ओखा के फौत होने पर ग्राम पंचायत से मिलावट कर हबता पुत्र अखा ने गलत ही अपने आप को स्व. ओखा का गोदपुत्र बताकर ओखा की भूमि

सहायक कलेक्टर
बागोडा

का म्यूटेशन अपने हक में दर्ज करवा दिया था जिसे ओखा की प्रथम वर्ग की उतराधिकारीणी उसकी माता मु. सोनी ने न्यायालय हाजा में नियमित वाद सं. 232/73 पेश कर जरिये फैसला दिनांक 28.09.1973 को निरस्त करवाया था तथा उसके जाइंदा पुत्र ओखा के फौत हो जाने पर अपनी वंश परंपरा कायम रखने के लिये उतरदाता प्रतिवादी मेघा को गौद लिया था। उपरोक्त परिपेक्ष्य में वादी का उक्त वाद पोषणीय नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का किसी प्रकार कब्जा नहीं रहा है, न द्वितीय वर्ग की उतराधिकारिणी वादी की माता धरमा का ही कभी भी वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा रहा है। इसलिये वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। ओखा फौत हुआ तब उसके प्रथम वर्ग का कोई वारिसान नहीं होने से हिंदु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार द्वितीय वर्ग की वारिस ओखा की बहिन धरमा के नाम खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये थी। यह तथ्य गलत है क्योंकि ओखा फौत हुआ तब प्रथम वर्ग की उतराधिकारीणी उसकी माता श्रीमती सोनी जोजे जगता जीवित थी। इसलिए द्वितीय वर्ग के उतराधिकारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ओखा की खातेदारी भूमि का इंद्राज हबता ने अपने हक में दर्ज करवा दिया, सही है, किंतु इस इंद्राज को ओखा की माता सोनी ने ही राजस्व न्यायालय मे नियमित दावा पेश कर निरस्त करवा दिया था। स्व0 सोनी ने अपने इकलौते पुत्र ओखा के स्वर्गवास हिंदु मान्यता के अनुसार अपनी वंश परपंरा को कायम रखने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 मेघा को गोद लिया था। ओखा फौत हुआ तब उसकी जन्मदात्री माता सोनी जीवित थी जो प्रथम वर्ग की उतराधिकारीणी थी तथा अपनी वंश परपंरा को चलाने के लिये हिंदु गोद अधिनियम के तहत उसे पुत्र गोद लेने का कानूनी अधिकार था। वादी की माता धरमा ओखा की बहन होने से द्वितीय वर्ग की श्रेणी में आती है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधारभूत कब्जा ही नहीं है, न कभी रहा है। साथ ही काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का लेशमात्र कब्जा नहीं है। इसलिए वादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह कानून हाथ में लेकर प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि से न तो स्वयं बेदखल करे और न ही अन्य किसी से बेदखल करावें।

प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा का जवाब काउण्टर क्लैम वादी की ओर से प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि उक्त वाद वादी ने स्व. ओखा कि खातेदारी बाबत पेश किया है। विवादित आराजी ओखा पुत्र जगता की ही खातेदारी आराजी थी न कि ओखा के पूर्वजों की, बल्कि ओखा स्वयं की खातेदारी आराजी ह ोने के कारण ओखा नाऔलाद फौत होने पर कानूनन प्रथम श्रेणी के वारिसान होने पर उसकी बहन यानी वादी की माता धरमा के नाम सहखातेदार के रूप में नामांतरकरण स्वीकृत हुआ जो राजस्व रेकर्ड से साफ जाहिर है तथा धरमा की खातेदारी आराजी में धरमा के फौत हो जाने के कारण हिंदु उतराधिकारिता अधिनियम के तहत वादी का ही पूर्णतः वादी का खातेदारी हक बनता है लेकिन प्रतिवादी मेघा द्वारा गलत रूप से धरमा की खातेदारी भी अपनी खातेदारी में इंद्राज करवाये जाने के कारण यह वाद स्पष्टतः हिंदु उतराधिकार अधिनियम के आधार पेश किया है। पूर्व निर्णित वाद में वादी नाथा न तो पक्षकार रहा और न ही पूर्व वाद की जानकारी रही है। जिससे पूर्व निर्णित वाद के सिद्वान्त व आधार इस मामले में लागू नहीं होते है और जहां तक मेघा को गोद लिये जाने का प्रश्न है यह स्पष्ट नहीं किया है कि मेघा को कब गोद लिया और यदि ओखा के फौत हो जाने के बाद गोद लिया गया है तो फौतगी नामांतकरण में मेघा का नाम कब इंद्राज करवाया गया । जब तक प्रतिवादी मेघा सक्षम न्यायालय से स्वयं को जगता का दत्तक पुत्र घोषित करवा नहीं देता तब तक उक्त आराजी में प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार निहीत नहीं होने से प्रतिवादी का काउण्टर क्लैम काबीलीय खारिज है। ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी में धरमा का खातेदारी हक होने से एवं धरमा के फौत हो जाने के कारण वादी प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी होने से उक्त आराजी अपनी खातेदारी घोषित करवाने का वादी ही अधिकारी है।

उपरोक्त मामले में वादी के वाद प्रतिवादी के जवाबदावा, जवाब वुल जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीया कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार ओखा पुत्र जगता की मृत्यु के समय हिंदु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम वर्ग का कोई उतराधिकारी जीवित नही था, इसलिए वादी की माता धरमा जो स्व0 ओखा की बहन होने से वादग्रस्त भूमि पर उसे खातेदारी अधिकार अवाप्त ह ो गये, जो धरमा के मरणोपरांत वादी को अवाप्त हो। :– जिम्मे वादी :–
2. आया ओखा के मरणोपरांत वादग्रस्त भूमि पर आज तक धरमा और वादी बहैसियत उतराधिकारी के काबिज है। :– जिम्मे वादी :–
3. आया वादी प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध के इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादीगण किसी प्रकार से अंतकरण नहीं करे और न उक्त भूमि पर वादी शांपिपूर्ण कब्जाकाश्त तथा उपयोग व उपभोग व में कोई रोकटोक, बाधा व दखलअंदाजी पैदा न करे एवं वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। :– जिम्मे वादी :–
4. आया ओखा की जन्मजात माता सोनी ने जरिये रजिस्ट्रड दस्तावेज गोदनामा दिनांक 6.12.1962 के तत्समय के अपने Sole Co-owner प्रतिवादी मेघा को सारे खातेदारी हक हस्तानांतरित कर दिये, जिससे वादी का खातेदारी का दावा पोषणीय नहीं है? :– जिम्मे प्रतिवादी नं. 1 :–
5. आया वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है, जिससे वादी स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री जारी कराने का अधिकारी नहीं है? :– जिम्मे प्रतिवादी नं. 1 :–

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

6. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी मेघा का कब्जाकाशत एवं आवास है। अतः प्रतिवादी नं. 1 वादी के विरूद्ध इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है कि वादी कानून हाथ में लेकर प्रतिवादी नं. 1 को वादग्रस्त भूमि से न तो स्वयं बेदखल करे और न अन्य किसी से ही बेदखल करावें?

:– जिम्मे प्रतिवादी नं. 1 :–

7. अनुतोष :–

वादी ने वाद के साथ दस्तावेजी प्रमाण में खतौनी बंदोबस्त संबत् 2011–2029 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2028–31 प्रदर्श 2, नामांतरकरण 475 प्रदर्श 3, जमाबंदी सवंत 2031–34 प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 एवं जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श 6 व मौखिक साक्ष्य में नाथा पुत्र मोटा **pw-1,** करमीराम पुत्र देवाजी **pw-2,** जोधाराम पुत्र भगवानाजी कलबी **pw-3,** के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये।

प्रतिवादी ने दस्तावेजी प्रमाण में गोदनामा दस्तावेज प्रदर्श **EXD-5,** खसरा परिशोधन पत्र **EXD-6,** निर्णय दिनांक 30.11.2011 राजस्व अपील प्राधिकारी पाली की प्रति प्रदर्श **EXD-4,** निर्णय दिनांक 27.04.2009 राजस्व प्रकरण संख्या 3/2008 की प्रति प्रदर्श **EXD-3,** फर्द मौका निरीक्षण, दिनांक 3.3.2008 की प्रति प्रदर्श **EXD-2,** मौखिक साक्ष्य में मेघा गोद पुत्र जगता **DW-1,** खंगाराराम पुत्र चेलाराम **DW-2,** गेनाराम पुत्र चतराजी **DW-3,** प्रतापाराम पुत्र दरगाजी प्रदर्श **DW-4,** वरजांगाराम पुत्र दजाजी प्रदर्श **DW-5** के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये।

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में विरचित की गई प्रत्येक तनकी पर दोनों पक्षों की बहस सुनी व बहस पर मनन किया जाकर प्रकरण का अवलोकन किया व निम्नानुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाता है :–

तनकी नं. 1 – यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई । वादी ने इस तनकी के समर्थन में खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श 1 जिसमें ओखा वल्द जगता कौम कलबी साकिन देह प्रथम बंदोबस्त से खातेदार दर्ज है।नामांतरकरण संख्या 475 प्रदर्श 3 के जरिये ख0न0 298,285,281 व 315 हबता वल्द अबा की बजाय धरमा जोजे मोटा, मेघा वल्द जगता कौम कलबी के नाम की राजस्व रेकर्ड में जरिये दुरस्ती इंद्राज हुआ व जमाबंदी संवत 2031–34 प्रदर्श 4 में धरमा जोजे मोटा व मेगा वल्द जगता कोम कलबी साकिन देह खातेदार दर्ज है। तत्पश्चात भू–प्रबंध विभाग के खसरा परिशोधन पत्र प्रदर्श **EXD-6** में अंकित टिप्पणी अनुसार "मुसम्मात धरमा जगता की पुत्री है, जगता फौत होने से उतराधिकारी के नाते पुरे खाते की आराजी मु. धरमा पुत्री के नाते राजस्व रेकर्ड में नामांतकरण भर दिया था। मु. धरमा शादीशुदा है। अब जगता के सगे भतीज मेगा को सामाजिक रश्म के अनुसार गोद ले लिया है और पुरी भूमि पर मेगा गोद जगता को सौंप दिया है और मौके पर कब्जाकाश्त मेगा गोद जगता का है जिसकी पुष्टि मौतबरान व पंच, सरपंच जी करते है। फलस्वरूप मु. धरमा का नाम हटाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।" मु. धरमा का उक्त परिशोधन की पृष्ठ पर अन्य मौतबरान के साथ सरपंच , वार्डपंच इत्यादि के साथ अंगुष्ठ निशान है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में सपूंर्ण रूप से मेगा गोद जगता की खातेदारी दर्ज हुई। तथा वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 6 अनुसार वादग्रस्त आराजी मेगा गोद जगता कौम कलबी साकिन देह खातेदार दर्ज है। इसके अलावा वादी ने अपने जिरह बयान में यह कथन किया कि मेरी माता धरमा को गुजरे तीन–चार साल हुए है, ओखा धरमा का सगा भाई था। ओखा की माता सोनी थी, यह बात सही है कि जब ओखा गुजरा तब उसकी माता सोनी जीवित थी, ओखा के कोई पुत्र नहीं था, हबता ने ओखा की मृत्यु होने पर अपने को ओखा का गोद पुत्र बताते हुए ओखा की भूमि का म्यूटेशन अपने नाम करवा दिया था। ओखा की माता सोनी ने 1973 में राजस्व वाद न्यायालय में पेश किया था जिसका म्यूटेशन निरस्त होकर सोनी के नाम किया था। ओखा के फौत होने पर अपनी वंश परंपरा कायम रखने के लिये सोनी ने प्रतिवादी मेगा को गोद लिया था तथा अपने बयानों में यह भी सही होना व्यक्त किया कि मेगा अपने परिवार सहित उक्त भूमि पर रहा है, उक्त भूमि पर आवासीय मकान बना हुआ है, कुआं है, टयूबवेल बना हुआ है।इसके अलावा वादी के गवाहों द्वारा भी वादी के कथनों की पुष्टि स्पष्ट रूप से नहीं की गई । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5 अनुसार सोनी बेवा जगता कौम कलबी द्वारा एक गोदनामा जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 6.12.1972 को मेगा वल्द हमीरा कौम कलबी के हक में पंजीबद्ध करवाया गया। दस्तावेज में यह उल्लेख किया कि "मैं 70 साल की वृद्धा हूँ, मेरे पति मुसम्मी जगता वल्द केवदा का देहान्त करीब 35 वर्ष पूर्व हो चुका है। मेरे एकमात्र पुत्र ओखा था जिसका भी अभी चार माह पूर्व देहान्त हो चुका है। ओखा की औरत उसके जीवनकाल में ही उसकी मृत्यु के करीब 7 साल पूर्व गुजर चुकी थी। ओखा के भी कोई संतान नहीं थी इस तरह मेरे पति, पुत्र और पुत्रवधु सबका देहान्त हो जाने पर मैं अनाथ हो गई " साथ ही यह भी दस्तावेज में उल्लेख किया कि उनकी तीव्र इच्छा थी कि उनका नाम चलता रहे , मेरी भी तीव्र इच्छा है कि मेरा व मेरा पति का नाम चलता रहे । हिंदु शास्त्रों के अनुसार मुझे व मेरी पति को अंजली देने के लिये हिंदु परंपरा के अनुसार मुसमात सोनी ने मुसम्मी मेगा को गोद लिया, जिसमें गत खसरा नं. 298, 285, 281 व 315 का उल्लेख किया जाकर दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया गया है। उक्त दस्तावेज हिंदु उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रथम वर्ग में सोनी पत्नि जगता जीवित थी जिनके द्वारा प्रतिवादी नं. 1 के हक में पंजीबद्ध करवाया गया, जिससे यह पाया जाता

सहायक कलेक्टर
आगोदा

है कि ओखा की की मृत्यु के समय प्रथम वर्ग की उतराधिकारीणी ओखा की माता सोनी जीवित थी , ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम वर्ग के वारिसान उपलब्ध होने से वादी की माता स्व. ओखा की बहन होने से वादग्रस्त आराजी पर उसे खातेदारी अधिकार अवाप्त नहीं होते है। साथ ही प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत खसरा परिशोधन अनुसार 285,298,281 व 315 के राजस्व रेकर्ड में मेगा गोद जगता कौम कलबी का इंद्राज है। इस प्रकार वादी इस तनकी को अपने दस्तावेजी प्रमाण एवं साक्ष्यों के आधार पर साबित नही करवा सका है। चूंकि गोदनामा दस्तावेज प्रदर्श 5 अनुसार ओखा की मृत्यु के पश्चात प्रथम वर्ग की वारिसान के रूप में ओखा के पुत्र जगता की पत्नि सोनी मौजूद थी । ऐसी स्थिति में वादी उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है, फलस्वरूप यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 –यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई । वादी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकी नं. 1 को साबित करवाने में पूर्णतया असफल रहा है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत उतराधिकारी के काबिज होने के तथ्य को भी साबित नही कर सका है। तनकी नं. 1 वादी के विरूद्ध निर्णित हो चुकी है। वादी ओखा के मरणोपरांत वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने के तथ्य को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतएव यह तनकी भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं.3 – यह तनकी वादी के जिम्मे रखी गई। वादी तनकी नं. 1 व 2 को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, साथ ही वादी द्वारा अपने कब्जेकाश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका है एवं अपने मौखिक साक्ष्यों से भी साबित करवाने में पूर्णतया असफल रहा है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत फर्द मौका निरीक्षण प्रदर्श EXD-2 अनुसार खसरा नं. 453, 454, 455 , 456 के मौका अवलोकन अनुसार खसरा नं. 453 गै.बू. बेरा है, खसरा नं. 454 जाव है, खसरा नं. 455 ढाणी है, जिसमें अप्रार्थी मेगा की रहवासी ढाणी है जिसमें पक्के कमरे व रसोई घर बना है व मेगा अपने परिवार सहित निवासरत है, खसरा नं. 456 जो ढाणी के लगा हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी मेगा का कब्जाकाश्त होना पाया जाता है। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध अपने कब्जेकाशत के अभाव में किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतएव यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 – यह तनकी प्रतिवादी नं. 1 के जिम्मे रखी गई। प्रतिवादी 1 ने जरिये दस्तावेज गोदनामा दिनांक 6.12.1972 प्रदर्श EXD-5 प्रस्तुत कर बखुबी साबित किया है कि तत्समय ओखा की माता सोनी ने अपने Sole Co-owner प्रतिवादी मेगा को सारे खातेदारी हक हस्तानांतरित कर दिये गये। ऐसी स्थिति में वादी का उक्त वाद खातेदारी हक घोषणा का पोषणीय योग्य नहीं पाया जाता है। यह तनकी प्रतिवादी नं. 1 ने जरिये दस्तावेजी प्रमाण EXD-5 के द्वारा पूर्ण रूप से साबित किया गया है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी नं. 1 के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5 – यह तनकी प्रतिवादी नं. 1 के जिम्मे रखी गई। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अ पने कब्जेकाश्त के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही अपने साक्ष्यों से ही अपने कब्जेकाश्त की पुष्टि करवाई गई। इसके विपरित प्रतिवादी नं. 1 द्वारा फर्द मौका निरीक्षण EXD-2 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर अपने कब्जेकाश्त की पुष्टि करवाई है। उक्त फर्द में अन्य मौतबरान के साथ वादी के उपस्थित होने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है बल्कि कब्जाकाश्त एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड प्रदर्श 6 अनुसार प्रतिवादी मेगा की खातेदारी पायी जाती है। अतएवं यह तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी नं. 1 के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 6 यह तनकी प्रतिवादी नं. 1 के जिम्मे रखी गई। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी पाया जाता है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादी नं. 1 के हक में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयों के विवेचन अनुसार वादी वादग्रस्त आराजी में खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा पाने का कतई अधिकारी नहीं पाया जाता है। चुंकि प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लैम प्रस्तुत किया गया है। जिसे स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादी नं. 1 विरूद्ध वादी सादिर किया जाना न्यायासंगत प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद बाबत खातेदारी हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी नं. 1 का काउण्टर क्लैम स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रतिवादी नं. 1 विरूद्ध वादी इस अमर की सादिर की जाती है कि वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे व न किसी से करावें। डिक्री परचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/9/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 14/9/18

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलेक्टर बागोडा